क्रम ा रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1)कौलेश्वरी मसोमात उर्फ कामेश्वरी देवी पति-स्व0 महरू धोबी (2)बसंती देवी पति स्व0 बिनोद रजक (3)अर्जुन रजक पिता-स्व0 रामा धोबी, ग्राम-मण्डईकला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-मण्डईकला, थाना नं0-131, खाता संख्या-124, प्लॉट संख्या-923, रकवा-08 डी0 भूमि रेखा कुमारी उर्फ रेखा देवी, पति-चिन्तामनी रजक, ग्राम-मण्डईकला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 232/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जॉच प्रतिवेदन की मॉग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता रेखा कुमारी एवं विक्रेता कौलेश्वरी मसोमात वगै0 अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदिका को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदिका के पास रकवा लगभग 89.50 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं बेनी धोबी के नाम दर्ज है। भूमि आवेदिका को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 188/XVIII पर परदादा ससुर एवं परदादा के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2018-19 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता कौलेश्वरी मसोमात का अनुमण्डल् पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/140496 दिनांक-07.02.2019 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2019/162610 दिनांक-04.02.2019 और क्रेता रेखा कुमारी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1488090 दिनांक-13.11.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे[illegible] कार्रवा[illegible] टिप्पणी
1	2	
	JHCC/2017/1398822 दिनांक-13.10.2017 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-मण्डईकला, थाना नं0-131, खाता संख्या-124, प्लॉट संख्या-923, रकवा-08 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.02.15 14:32:37 +05:30
Location: 192.168.100.2